अनुस्मारक / शीर्ष प्राथमिकता

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 733 / व.वा. / वृक्षारोपण / 2023–24 दिनांक 31 / 07 / 2023

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, बांदा, उन्नाव–शुक्लागंज, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, रामपुर, रायबरेली, उरई, आजमगढ़, मिजापुर–विन्ध्याचल तथा बस्ती विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
कुशीनगर, शक्तीनगर, चित्रकूट तथा कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः **वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण अभियान–2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–659 / व.वा. / वृक्षारोपण / 2023–24 दिनांक 20.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या–662 / आठ–1–23–34बैठक / 2017 टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2023 जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित किया गया है।

2. उक्त पत्र के साथ संलग्न वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्र संख्या–365 / 81–5–2023 दिनांक 13.07.2023 तथा वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी द्वारा कम से कम 01 पौध का रोपण किये जाने से संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–आई / 348567 / 2023 दिनांक 13.07.2023 द्वारा निम्नवत् अपेक्षायें की गयी थीं :–

2.1 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के उक्त पत्र में वृक्षारोपण अभियान 2023–24 के तहत निर्धारित 35 करोड़ पौध रोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–सारणी निम्नानुसार तय की गयी है :–

- दिनांक 22 जुलाई, 2023 : 30 करोड़ पौधरोपण।
- दिनांक 15 अगस्त, 2023 : 05 करोड़ पौधरोपण।

2.2 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन के उक्त पत्र द्वारा दिनांक 13.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.07.2023 को मा. मंत्रि परिषद की बैठक में मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान–2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ संचालित किये जाने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत समस्त शासकीय विभागों द्वारा दिनांक 22.07.2023 को कम से कम 30 करोड़ तथा दिनांक 15.08.2023 को 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना अपेक्षित है।

3. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया विगत दिनांक 22.07.2023 को हुए वृक्षारोपण की कृत कार्यवाही की सूचना के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–616/व.वा./वृक्षारोपण/2023–24 दिनांक 17.07.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** में वांछित सूचनायें भी शासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

31.7.2023

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन को उनके पत्र सं.–662/आठ–1–23–34बैठक/2017टी.सी. दिनांक 19 जुलाई, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

स्पीड पोस्ट

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1—ए—वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ—226010

पत्रांकः 616 / व.वा. / वृक्षारोपण / 2023—24 दिनांक 17 / 07 / 2023

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

विषयः वर्ष 2023—24 के पौधरोपण लक्ष्यों के सम्बन्ध में निर्गत दिशा—निर्देश के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—641 / आठ—1—23—34बैठक / 2017टी.सी. दि0 12 जुलाई, 2023 एवं उक्त पत्र में उल्लेखित शासन द्वारा निर्गत पत्रांक—603 / आठ—1—23—34बैठक / 2017 टी.सी. दिनांक 19 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा संलग्न प्रारूप—1(छ) (छायाप्रति संलग्न) पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के साथ—साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समेकित सूचना शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :—

1. ऐसे पार्क जिनका ले—आउट में प्राविधान है (प्राधिकरण के अथवा निजी), परन्तु जहॉ पर पेड़—पौधे नहीं हैं, ऐसे पार्कों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाय।
2. बिल्डिंग बाईलॉज में मानचित्र स्वीकृत करते समय वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है, उसका भी कड़ाई से पालन कराया जाय।
3. गत वर्षों में जिन जगहों पर वृहद वृक्षारोपण कराये गये हैं, उनकी विडियोंग्राफी / फोटोग्राफी कराते हुए प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला जाय एवं उसकी सूचना नगर एवं ग्राम नियोजक एवं आवास बन्धु को उपलब्ध करायी जाय।
4. मियावकी पद्वति द्वारा गत वर्ष कराये गये वृक्षारोपण की सूचना एवं फोटोग्राफ्स मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराया जाय एवं इस वर्ष किन—किन स्थानों पर मियावकी पद्वति से पौधे लगवायें जाने है, उसकी भी सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।
5. वृक्षारोपण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियॉ जैसे—शत प्रतिशत गड्ढों की खुदाई करा ली जाय एवं जितने पौधें की आवश्यकता हो, उसकी मांग सम्बन्धित जनपदों के डी.एफ.ओ. से कर ली जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना शासन एवं इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

17.7.23

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1, उ.प्र. शासन को उनके पत्र सं.—641(1) / आठ—1—23—34बैठक / 2017टी.सी. दिनांक 12 जुलाई, 2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

17.7.2023

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या–662/आठ–1–23–34बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांकः** 17 **जुलाई, 2023**

विषयः– वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2023–24 में 35 करोड़ पौधा रोपण सम्बंधी कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्र संख्या–365/81–5–2023 दिनांक 13.07.2023 एवं वृक्षारोपण अभियान 2023 में प्रदेश के समस्त विभागों के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी द्वारा कम से कम 1 पौध का रोपण किये जाने सम्बंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन पत्र संख्या–आई/348567/2023 दिनांक 13.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के उक्त पत्र में वृक्षारोपण अभियान 2023–24 के तहत निर्धारित 25 करोड़ पौध रोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–सारणी निम्नानुसार तय की गयी है:–

- दिनांक 22 जुलाई, 2023 : 30 करोड़ पौधारोपड़।
- दिनांक 15 अगस्त, 2023 : 05 करोड़ पौधारोपण।

3– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र द्वारा दिनांक 13.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.07.2023 को मा0 मंत्रि परिषद की बैठक में मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान–2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ संचालित किये जाने का आह्वान किया गया है जिसके तहत समस्त शासकीय विभागों द्वारा दिनांक 22.07.2023 को कम से कम 30 करोड तथा दिनांक 15.08.2023 को 5 करोड पौधों का रोपण किया जाना है।

स0 प्र0/श्री पवन
20.7.23

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दिवसों क्रमशः दिनांक 22.07.2023 एवं 15.08.2023 को व्यापक जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण को एक 'उत्सव' के रूप में क्रियान्वित किया जाना है। इस सम्बंध में समस्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम, निगम, बोर्ड आदि यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विभाग के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी कम से कम 1 पौधे का रोपण कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। समस्त विभागों सार्वजनिक उद्यम, नगर बोर्ड आदि के राज्य, मण्डल एवं जिल स्तर के कार्यालयों एवं उनके अन्तर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों के माध्यम से यथावश्यकता वृक्षारोपण हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करा ली जाय।

4– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दोनों पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण हेतु निर्धारित उक्त दोनों दिवसों पर कम–से–कम एक पौधा रोपित किए जाने एवं उसकी सुरक्षा का संकल्प लिए जाने हेतु अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे:–

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, परिवहन निगम लि0, नई दिल्ली।

(4) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।

(7) समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव।